

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 286/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना- जीयनपुर: एटीएम मशीन में स्टील का उपकरण लगाकर धोखाधड़ी से रूपयें निकालने वाले 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 10.08.2025 को आवेदक सचिन सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम फत्तेपुर पोस्ट बनकटिया थाना जीयनपुर आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिये की दिनांक 09/08/2025 को मै लाटघाट मार्केट में ATM (SBI) में पैसा निकालने के लिए अपना ATM CARD और मशीन में लगाया और अपना PIN NO. और Amount-8000 डाला मशीन से पैसा आया परन्तु पैसा निकासी के रास्ते में स्टील प्लेट लगी हुयी थी । जिससे मेरा पैसा ATM Machine से बाहर नहीं आ पाया । मैने काफी प्रयास किया व Customer Care से बात किया तो बताया गया की 5 दिन बाद Complane Register होगी । मै थक हार कर ATM से बाहर निकल गया और मार्केट में दुकानदारी करने चला गया । और करीब आधा घण्टा बाद वापस ATM Machine के पैसा निकासी वाले रास्ते में जो स्टील प्लेट लगी थी वह किसी ने निकाल लिया था व मेरा पैसा भी नहीं होने के सम्बन्ध प्राप्त हुआ की प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 317/2025 धारा 319(2)/318(4) BNS व 65/66IT ACT बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक अशोक KGCEJ तिवारी को सुपुर्द की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की प्रारम्भिक विवेचना उ0नि0जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 11.08.2025 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 1.सद्दाम पुत्र इम्तियाज निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, 2.एजाज पुत्र समशुद्दीन निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष, 3. सलीम पुत्र भोनू नि0 मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 27 को चोरी/धोखाधड़ी के 8000/ रुपया नगद, स्टील का उपकरण, एक अदद कैची मोटर साइकिल के साथ लाटघाट एटीएम के पास से समय 14.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम सभी लोग मिलकर SBI ATM से टीन के उपकरण को लगाकर पैसा निकालते है व बरामद रूपये के बारे में बताया कि दिनांक 09.08.2025 को हम लोग SBI ATM लाटघाट बाजार से 8000/ रूपये निकाले थे जिसमे मेरा हिस्सा 3500 रूपये हुआ था यह वही पैसा है दुसरे ने एजाज S/O समशुद्दीन निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष जामा तलाशी ली गयी तो जिंस के बाये जेब से 1000/ व दाहिने जेब से पेपर मिला तथा बताया कि साहब दिनांक 09.08.25 को मे व सद्दाम व सलीम तीनों लोग मिलकर SBI ATM लाटघाट बाजार से 8000/ रूपये टीन के उपकरण व पेपर लगा कर निकाल थे यह पैसा उसी पैसो मे से मेरा हिस्सा है तथा इसी पेपर से चिपका कर हम लोगो ने पैसा निकाल था तीसरे ने अपना नाम सलीम S/O भोनू नि0 मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष बताया जमा तलाशी ली गया को लोवर के दाहिने जेब से 3500/ रूपये व बाये जेब से एक अदद कैची बरामद हुआ हम लोग टीन के उपकरण मे ATM मशीन के पैसा निकासी वाले जगह पर पेपर टेप चमकिला सिलवर को चिपका देते है तथा ATM के बाहर से देखते रहते है कि कौन व्यक्ति ATM से पैसा निकालने जा रहा है वह व्यक्ति अब ATM मशीन से ATM कार्ड लगा कर पैसा निकालता है मशीन से पैसा गिनने की आवाज आती है लेकिन टीन के उपकरण के बजह से पैसा बाहर नहीं निकलता है कुछ देर परेशान होने के बाद वह व्यक्ति जब ATM मशीन से चला जाता है तब हम लोग चोरी से जाकर ATM मशीन मे फसे उक्त पैसे को तथा उसमे हम लोगो के द्वारा लगाये टीन के उपकरण को निकालते है तथा वहा से निकल जाते है । गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 338/336(3)/340(2)/303(2)/317(2) BNS की बढ़ोतरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.सद्दाम पुत्र इम्तियाज निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
- 2.एजाज पुत्र समशुद्दीन निवासी मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
3. सलीम पुत्र भोनू नि0 मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 27

बरामदगी का विवरण:—

1-एक अदद प्लास्टिक के पारदर्शी डब्बे मे शील सर्व मोहर अदद टिन का उपकरण व

2-एक अदद कैची व पैपर व मोटर साइकिल तथा 8000/ रुपया नगद

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 317/2025 धारा 319(2)/318(4) BNS व 65/66IT ACT बढोतरी धारा

338/336(3)/340(2)/303(2)/317(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जाफर खान थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 सौरभ सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3.का0 दिपक सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

4. का0 बृजेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

5. का0 दीनदयाल कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 11.08.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्विसन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बरदह: गैंगेस्टर एक्ट में 03 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक- 28.02.2023 को वादी मुकदमा संजय सिंह प्र0 निरी बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. महेन्द्र मुसहर पुत्र नखडू 3. मोहन वनवासी पुत्र नखडू निवासीगण सिकरौर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 85/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

→ जिसके क्रम में दिनांक-11.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. महेन्द्र मुसहर पुत्र नखडू 3. मोहन वनवासी पुत्र नखडू निवासीगण सिकरौर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।